Press Release

TATA POWER-DDL

मंगलवार, 27 जनवरी, 2026

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली

टाटा पावर-डीडीएल ने विव 2025-26 में बिजली चोरी के मामलों में 22 अभियुक्तों को कानूनी तौर पर सजा दिलाने में सफलता हासिल की

अदालत ने हाल में एक अभियुक्त को छह माह के कारावास और ₹1.88 के जुर्माना की सजा सुनायी

बिजली चोरी के मामलों को रोकने और बिजली उपभोग में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरी दिल्ली में करीब 90 लाख की आबादी को बिजली सप्लाई करने वाली अग्रणी वितरण कंपनी टाटा पावर-डीडीएल इस दिशा में काफी गंभीर है। अदालत ने इस संदर्भ में हाल में कंपनी के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिजली चोरी के अभियुक्त के खिलाफ ₹1.88 का जुर्माना और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

यह मामला 2019 में सामने आयी बिजली चोरी की एक घटना से जुड़ा है जिसमें कंपनी ने शिकायत मिलने पर 3 जून, 2019 को श्री कंवर लाल के सुल्तानपुरी स्थित, दिल्ली स्थित परिसर का इंस्पेक्शन किया। इस जांच के दौरान यह पाया गया कि वह घरेलू उपभोग के लिए टाटा पावर-डीडीएल के खंभे से गैर-कानूनी तारों के जरिए बिजली चोरी कर रहे थे। उनके परिसर में कोई बिजली मीटर नहीं था, और इस तरह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बिजली चोरी का दोषी पाया गया तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 135 के अंतर्गत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उक्त परिसर में कुल 9.1 किलोवाट का कनेक्टेड लोड आंका गया और कुल ₹1,88,772 का बिजली बिल अभियुक्त को जारी किया गया।

माननीय स्पेशल कोर्ट, रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीय श्री प्रशांत कुमार ने जेजे कालोनी, सुल्तानपुरी निवासी श्री कंवर लाल को घरेलू उपभोग के लिए बिजली चोरी का दोषी पाया। इस मामले में दायर सभी संबंधित

दस्तावेजों की जांच तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर, माननीय कोर्ट ने श्री कंवर लाल को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 135 के अंतर्गत दोषी पाया। मामले की सुनवाई के बाद 16 जनवरी, 2026 को अभियुक्त को सजा सुनायी गई।

इस घटनाक्रम पर, **चीफ कमर्शियल, टाटा पावर-डीडीएल** ने कहा, *"इस प्रकार के फैसले राजधानी दिल्ली में अनुशासित तरीके से बिजली उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। हम समय-समय पर अपने उपभोक्ताओं का अनैतिक और गैर-कानूनी आचरण से दूर रहने तथा जिम्मेदार उपभोक्ता बनने का आह्वान करते हैं।"*

इस प्रकार के घटनाक्रम, टाटा पावर-डीडीएल द्वारा अबाधित तरीके से भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामुदायिक विकास और उपभोक्ता अनुभवों को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाते हैं। टाटा पावर-डीडीएल लगातार कम्युनिटी एंगेजमेंट और कस्टमर की जरूरतों को समझने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हुए उनके अनुभव बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसने उपभोक्ता-केंद्रित व्यवहारों के लिए अपनी साख बनायी है। निजीकरण के बाद, टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में, एटीएंडसी नुकसान 5.5% है, और जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान स्तर की तुलना में इसमें अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। टाटा पावर-डीडीएल के बारे में और जानकारी के लिए देखें: www.tatapower-ddl.com

For further information please contact:

Corporate Communications:

John Edwin (9910082270)

Slough PR:

Abhishek Anand (9711061540)